राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।

कमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/21592   जयपुर, दिनांकः 14/6/17

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 245 सपठित धारा 299, 306, 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा राज्य सरकार नगरीय निकाय क्षेत्रो में स्थित बाजार/दुकानो के आगे/फुटपाथ/सार्वजनिक रास्तो पर सामग्री डालकर अस्थाई रूप से अतिकमण करने वाले व्यक्तियों से नगर निगम /परिषद/पालिका को निम्नानुसार कैरिंग चार्ज वसूल कर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश प्रदान करती हैः-

1. प्रथम बार ऐसा कृत्य किये जाने पर :-
   - (a) नगर निगम – 1,000/– रूपये कैरिंग जार्च
   - (b) नगर परिषद – 750/– रूपये कैरिंग जार्च
   - (c) नगर पालिका – 500/– रूपये कैरिंग जार्च
2. द्वितीय बार ऐसा कृत्य किये जाने पर निम्नानुसार कैरिंग चार्ज वसूल किया जावे तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक भूमि पर पायी जाने वाली सामग्री को भी जब्त किया जावे साथ ही सक्षम न्यायालय में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 245 (2) के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जावेः-
   - (a) नगर निगम – 2,000/– रूपये कैरिंग जार्च
   - (b) नगर परिषद – 1,500/– रूपये कैरिंग जार्च
   - (c) नगर पालिका – 1,000/– रूपये कैरिंग जार्च
3. तृतीय बार ऐसा कृत्य किये जाने पर निम्नानुसार कैरिंग चार्ज वसूल किया जावे तथा सामग्री को भी जब्त किया जावे साथ ही सक्षम न्यायालय में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 245 (2) के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जावे इसके अतिरिक्त सार्वजनिक भूमि पर स्थित सम्पति को जब्त एवं कुर्क करने की कार्यवाही की जावे। व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने वाले व्यक्ति जिनके द्वारा अतिकमण/बाधा उत्पन्न की गई है उनके व्यवसाय का लाईसेन्स जारी है तो निरस्त किया जाकर अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा लाईसेन्स प्राप्त नहीं किया गया है तो उसके व्यावसायिक परिसर को सीज कर सील किया जावेः-
   - (a) नगर निगम – 3,000/– रूपये कैरिंग जार्च
   - (b) नगर परिषद – 2,000/– रूपये कैरिंग जार्च
   - (c) नगर पालिका – 1,500/– रूपये कैरिंग जार्च

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

D:\QAYAM15.Order.doc

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2017/21593-22047 दिनांकः 14/6/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर, विकास प्राधिकरण।
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0।
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज.।
07. सचिव, नगर सुधार न्यास समस्त राजस्थान।
08. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
09. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
11. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\QAYAM15.Order.doc